Speed post

भारत सरकार

Government of India

राष्ट्रीय अनुसूचित जन जाति आयोग

National Commission for Scheduled Tribes

(A Constitutional Body set up under Art. 338A of the Constitution of India)

File No. BKS/2/2017/MCOM1/SEOTH/RU-IV Dated: 12.06.2018

To,

The Chairman cum Managing Director,
State Trading Corporation of India Ltd.,
Jawahar Vyapar Bhawan,
New Delhi – 110 001.

Sub: Proceedings of the sitting taken by Hon'ble Member Smt. Maya Chintamn Ivnate, National Commission for Scheduled Tribes (NCST) on 22.05.2018 in the matter of Shri B.K. Susawat, General Secretary, State Trading Corporation of India Employees Union, Tolstoy Marg, New Delhi regarding harassment on STs Employees by STC Management.

Sir,

I am directed to enclose a copy of the Proceedings of the Sitting held under the Chairmanship of Smt. Maya Chintamn Ivnate, Hon'ble Member, National Commission for Scheduled Tribes on 22.05.2018 on the above mentioned subject for perusal.

It is requested that action taken report in the matter may please be sent to the Commission within 21 days positively for placing the same before the Hon'ble Member, NCST.

Yours faithfully,

(Y.K. Bansal)
Research Officer

Copy to:-

Shri B.K. Susawat,
General Secretary,
State Trading Corporation of India Employees Union,
1, Tolstoy Marg,
New Delhi – 110 001.

- NIC

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

File No. BKS/2/2017/MCOM1/SEOTH/RU-IV

Proceeding of the sitting held on 22.05.2018 before Smt Maya Chintamnlvnate, Hon'ble Member, NCST in the matter of representation of Shri B.K Susawat, General Secretary, STC Employees Union, New Delhi regarding harassment.

1. Sitting held on 22.05.2018 at 02.30 P.M.
2. A list of Officers and Petitioner concerned appeared is at Annexure.
3. During the sitting, the petitioner Shri B K Susawat, General Secretary, The STC of India Employees Union, New Delhi has submitted that the STC management has not implemented the Commission's recommendation made in the sitting held on 19.09.2017 of withdrawal of charge sheet for not marking attendance. However, as per Commission's direction, he is marking attendance with immediate effects. On other hand, The STC management initiated the departmental inquiry. The Inquiry Officer has submitted inquiry report as Ex- party to the Disciplinary Authority, STC of India for a decision. Now the STC management is planning to dismiss his services through CRS method. His defence documents were not taken into consideration by the inquiry officer. Inaddition, the Inquiry officer has appointed above 65-year-old retired person and he is not entitled to hold Inquiry as per the DoPT guidelines. The Inquiry officer is also influenced with the STC management.
4. The CMD and Director (Personnel), STC Limited have submitted the facts of the case. They submitted that the inquiry proceedings under STC's (Conduct, Discipline& Appeal) Rules, 1975 were initiated against Shri B.K Susawat for not marking attendance/irregularly marking attendance. The petitioner did not attend the hearing fixed on 13.12.2017 and 20.03.2018 before the Inquiry Officer. Hence the Inquiry Officer has concluded the inquiry as ex-parte and submitted a report to the Disciplinary Authority. Further as per the CDA Rules, a copy of the report of Inquiring Authority was sent on 08.05.2018 to the petitioner for submitting his comments within 15 days to the Disciplinary Authority.

Smt. Maya Chintamn Ivnate
Member
National Commission for Scheduled Tribes
Govt. of India, New Delhi

After receipt of the comments of the petitioner, the Disciplinary Authority will take a decision keeping into consideration of the report of the Inquiry Officer, recommendation of the Commission and also past practice in similar cases and will pass an order. The process is likely to take one-month time for completion of inquiry process. After the decision of the Disciplinary Authority, the ATR will be submitted to the Commission.

The Director (P), STC Ltd. has also submitted that the STC Management will provide two weeks' time to the petitioner for submission of his defence document to the Disciplinary Authority from today itself. Then, Disciplinary Authority will consider the matter taking into consideration of IA's report, Commission's recommendation, past instances in similar cases and petitioner's defense document and then will take a decision within 04 weeks. No injustice will be made against the petitioner on caste basis. The STC management will submit final action taken report after 06 weeks' time.

5. The case was discussed in detail. The Commission has observed that the petitioner was not given opportunity to defend his case during the inquiry. However, the STC management was agreed to provide an opportunity to submit defence documents against the charges framed.
6. The Commission recommends that no action may be taken against the petitioner till the finalization of the inquiry process and no injustice may be meted out against the petitioner being caste prejudice for the sake of natural justice. The petitioner may be provided two weeks' time for submission of defence documents to the Disciplinary Authority and the same will be considered by the DA within 04 weeks' time by submission of final report to the Commission. If required, the Disciplinary Authority will hear the petitioner in person and will also provide information to the petitioner in reference to his letter dated 22.05.2018 particularly issues mentioned under Para 7 (I) to (x) which is enclosed herewith. At the same time, the petitioner will cooperate with STC Management in finalization of inquiry process. The STC management may also take sympathic view while deciding the case being nature of the charges.
7. The STC management may submit an action taken report to the Commission by 05.07.2017. The case will be reviewed after receipt of the action taken report.

Smt. Maya Chintamn Ivnate
Member
National Commission for Scheduled Tribes
Govt. of India, New Delhi

Annexure

ATTENDANCE SHEET
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

Sitting held on 22/05/2018 under the Chairmanship of Smt. Maya Chintamn Ivnate,, Hon'ble Member , NCST to discuss the issues in following cases /files: -

1. BKS/2/2017/MCOM1/SEOTH/RU-IV

NCST

1. Smt. Maya Chintamn Ivnate,, Hon'ble Member
2. Shri P.T Jameskutty, Deputy Secretary
3. Shri Y.K. Bansal, Research Officer
4. Shri H. R. Meena, Senior Investigator
5. Shri S.Atram PS to Hon'ble Member (MCI)

State Trading Corporation of India Ltd.

1. Shri Rajiv Chopra, CMD (Additional Charge)
2. Shri S.K. Sharma, Director (P)
3. Shri. T. Karketta, General Manager (P)
4. Shri B. Nagaraju Assistant Manager (P)

Petitioner

1. B.K. Susawat

Smt. Maya Chintamn Ivnate
Member
National Comm[illegible] Scheduled Tribes
Gov[illegible]

दिनांक: 22 मई 2018

श्रीमती माया चिंतामन ईवनाते,
माननीय सदस्या,
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग,
भारत सरकार
लोकनायक भवन,
नयी दिल्ली.

विषय: एसटीसी प्रबंधन द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों का उत्पीड़न
संदर्भ: पत्र संख्या बीकेएस/2/2017/एमओसीएम1/एसईओटीएच/आरयू-IV दिनांक 15.05.2018

महोदया,

मेरे पत्र दिनांक 14.05.2018 के क्रम में श्री डी एस कुम्भरे, अवर सचिव के सी एम डी, एसटीसी को संबोधित पत्र सं बीकेएस/2/2017/एमओसीएम1/एकईओटीएच/आरयू-IV दिनांक 11.04.2018 के संदर्भ में जिसके साथ राष्ट्रीय जनजाति आयोग के माननीय सदस्या की अध्यक्षता में 6.03.2018 उर्पयुक्त विषयवस्तु पर आयोजित बैठक की कार्यवाही की एक कापी सीएमडी, एसटीसी को अग्रेषित की गई थी, जिसके अनुसार माननीय आयोग द्वारा यह अनुशंसा की गई थी कि एसटीसी प्रबंधन संबंधित जॉच अधिकारी/विभाग को श्री बी के सुसावत के खिलाफ जारी किए गए **आरोप पत्र को वापिस लेने** के लिए सूचित करे तथा श्री बी के सुसावत एसटीसी प्रबंधन को आश्वासन दें कि वह अपनी हाजिरी बायोमीट्रिक प्रणाली पर लगाएंगे और भविष्य में लगाते रहेंगे।

2. माननीय आयोग कि 06.03.2018 को बैठक के दौरान, श्री आर सी चोपड़ा, सीएमडी एसटीसी, श्री एस के शर्मा, निदेशक (कार्मिक), एसटीसी और श्री टी केरकेट्टा, महाप्रबंधक (कार्मिक), एसटीसी प्रबंधन का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। बैठक में **श्री शर्मा ने स्वीकार किया कि वर्तमान और अतीत में महासचिव, एसटीसी कर्मचारी संघ को विशेष सुविधाएं जिनमें उपस्थिति दर्ज न करने संबंधी सुविधा भी शामिल है, दी गईं थीं**, अब वित्तीय कमियों के कारण कम कर दी गई हैं। इसके अलावा, श्री टी करकैटा ने आयोग के समक्ष स्वीकार किया कि 24.06.2010 के पत्र पर संलग्न हस्ताक्षर श्री एस मुखर्जी, मुख्य प्रबंधक के हैं, जो अब जीवित नहीं हैं।

3. एसटीसी प्रबंधन ने माननीय आयोग की सिफारिशों का पालन करने के बजाय उल्टे तुरंत ही **जॉच अधिकारी को निर्देश दिए** कि जॉच की कार्यवाही को तेज कर दिया जाए व **एक हि बैठक दिनांक 20.03.2018 में एक तरफा कारंवाई करते हुए जॉच समाप्त कर दी** और जांच **अधिकारी ने अपनी जांच रिपोर्ट दि. 23.04.2018 प्रबंध के समक्ष प्रस्तुत की** जिसमें मुझे पर्याप्त अवसर न देते हुए प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन करते हुए आरोप सिदध किए गए/दर्शाए गए और जांच की कार्यवाही का दुरुपयोग किया गया।

4. अपने **दिनांक 10.04.2018 के पत्र में मैंने जांच कार्यवाही की कमियों को इंगित** करते हुए जांच अधिकारी के पक्षपात को प्रमाणित करते हुए साथ ही आयोग की 06.03.2018 की कार्यवाही की ओर ध्यान दिलाते हुए अनुशासनिक प्राधिकारी, श्री टी करकैटा, महा-प्रबंधक, कार्मिक, एसटीसी को जांच कार्यवाही रोकने का अनुरोध किया. इस पत्र की एक कापी निदेशक, कार्मिक को भी ई-मेल से भेजी गई, जो कि माननीय सदस्य के साथ 06.03.2018 की बैठक में उपस्थित थे और पूरी कार्यवाही के गवाह थे. लेकिन यह दुर्भाग्यपूण् है कि एसटीसी प्रबंधन ने जांच कार्यवाही रोकने और मुझे जवाब देने के बजाए, माननीय आयोग की अनुशंसाओं के विरूद्ध, अधोहस्ताक्षरी को **अपने 08.05.2018 के पत्र के साथ 23.04.2018 की जांच रिपोर्ट की एक कापी भेजी जिसमें 15 दिनों के अंदर** मुझे अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए कहा गया ।

5. उपर्युक्त तथ्यों के मददेनजर, न केवल यह सिद्ध होता है कि एसटीसी प्रबंधन झूठे/ ओछे आरोप लगाकर अधोहस्ताक्षरी को, बल्कि अनुसूचित जाति/जनजाति के कर्मचारियों को माननीय आयोग की अनुशंसाओं की अवहेलना करते हुए बर्खास्त करने पर उतारु है ।

6. यहां उल्लेख करना उचित है कि 24.08.2017 के आरोपित आरोप पत्र महासचिव, एसटीसी एम्पलाइज यूनियन को जारी किया गया है जोकि 1960 के दशक में ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926 के अंर्तगत पंजीकृत कराई गई हैं। एसटीसी एम्पलाइज यूनियन, अपने संविधान के अनुरुप, महा-सचिव द्वारा, इसकी कार्यसमिति की सलाह और सहायता से संचालित की जाती है. महा-सचिव का चुनाव गुप्त मतदान प्रणाली दवारा कराया जाता हैं. औदयोगिक विवाद अधिनियम 1947 के अनुसार रजिस्र्टड एसटीसी कर्मचारी यूनियन के महा-सचिव को एक "सुरक्षित कामगार" माना गया है। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अनुसार, रजिस्र्टड एसटीसी कर्मचारी यूनियन के महासचिव को एसटीसी के पत्र दिनांक 25/09/2017 के माध्यम से 'संरक्षित कामगार' के रूप में मान्यता प्राप्त है |

7. फिर भी, मेरे द्वारा जांच अधिकारी और अनुशासनिक प्राधिकारी दोनों के अनुरोधों के बावजूद मुझे मामले की बचाव/रक्षा करने के लिए उचित अवसर से वंचित रखा गया है तथा मुझे एसटीसी प्रबंधन द्वारा मेरे प्रति किए जाने वाले भेदभाव/अन्याय की पूर्ण आशंका हैं। ऐसी किसी भी स्थिति में, निम्नलिखित जानकारी/दस्तावेज़ ही केवल मेरी बेगुनाही साबित करने के लिए समर्थन कर सकते हैं जिसके लिए प्रबंधन को **प्रदान करने हेतु उचित निर्देश दिए जाये।**

i. श्री अवधेश राय को उनके एसटीसी कर्मचारी संघ के महासचिव रहते हुए, उनकी उपस्थिति पंजिका।
ii. श्री अवधेश राय के उनके एसटीसी कर्मचारी संघ के महासचिव रहते हुए, उनकी वेतन पर्चियां।
iii. श्री अवधेश रॉय के उनके एसटीसी कर्मचारी संघ के महासचिव रहते हुए, उनके उपस्थिति दर्ज न करने पर एसटीसी प्रबंधन दवारा उनके खिलाफ की गई कार्रवाई।
iv. श्री राहुल यादव, सहायक प्रबंधक के एसटीसी में आने के बाद से उनकी उपस्थिति पंजिका।
v. श्री राहुल यादव, सहायक प्रबंधक के एसटीसी में आने के बाद से उनकी वेतन पर्चियां ।
vi. श्री राहुल यादव, सहायक प्रबंधक के एसटीसी में आने के बाद से उनकी उपस्थिति पंजिका।
vii. श्री राहुल यादव, को एसटीसी प्रबंधन द्वारा इस अवधि के दौरान उपस्थिति दर्ज न करने संबंधी निर्देश।
viii. श्री राहुल यादव, दवारा उनकी उपस्थिति दर्ज न करने पर एसटीसी प्रबंधन दवारा की गई कार्रवाई।
ix. बी के सुसावत की 2010 से 2016 की अवधि के दौरान की वेतन पर्चियां, एसटीसी प्रबंधन द्वारा कार्रवाई करने से पहले।
x. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और कार्मिक प्रभाग की वे सभी नोटिंग/पत्राचार, अप्रैल/मई 2017 जिनमें बी के सुसावत, महासचिव, एसटीसी कर्मचारी संघ के खिलाफ विभागीय कार्रवाई/आरोप पत्र प्रारंभ करने की बात की गई हो ।

8. मैं याद कराना चाहूंगा है कि 06.03.2018 को माननीय सदस्य के समक्ष एसटीसी प्रबंधन द्वारा किए गए बयान में कहा गया था कि महासचिव, एसटीसी कर्मचारी संघ द्वारा उपस्थिति दर्ज न करने संबंधी सुविधा अतीत में भी दी गईं थीं, जिससे मेरे खिलाफ लगाए गए आरोप की पुष्टि नहीं होती है, और **एसटीसी सीडीए नियम 1975 के 28 (4)** के नियम के अनुसार "If the Disciplinary Authority having regard to its findings on all or any of the articles of charge, is of

the opinion that no penalty is called for, it may **pass an order exonerating the employee concerned."**

8. अतः मैं विनम्रतापूर्वक माननीय सदस्या से प्रार्थना करता हूं कि एसटीसी प्रबंधन को माननीय आयोग द्वारा अनुशंसा की अनुपालना करते हुए **23.04.2018 की अपर्याप्त जाँच रिपोर्ट को रद्द करने** और **24.08.2017 के आरोपपत्र को वापस लेने के लिए निर्देशित किया** जाए और प्राथी को न्याय प्रदान किया जाए।

साभार,

भवदीय

(बी के सुसावत)
महासचिव
एसटीसी कर्मचारी संघ.
नई दिल्ली